न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34 / 2025	30.06.2025	13-1-2026

1. धनबाई पत्नी स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
2. प्यारेलाल पुत्र स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
3. मेघराज बैरवा पुत्र स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर
4. राजन्ती पुत्री स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
5. रमेशी पुत्री स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
6. मुकेशी पुत्री स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी
7. विमला पुत्री स्व0 रामजीलाल, बैरवा निवासी खूटला तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के पति व पिता रामजीलाल पुत्र खूख्या बैरवा की सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख0न0 1725 रकबा 11.190 है0 ग्राम खूटला मे स्थित है। जिसका नया खाता संख्या 310 व पुराना खाता संख्या 302 है। प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम रामजीलाल पुत्र खूख्या है। प्रार्थी के पति व पिता की खातेदारी ख0न0 325, 643, 644, 911 मे भी रामजीलाल पुत्र खूख्या अंकित हे। खाता संख्या 310 मे प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम रामजीलाल पुत्र कस्तूरया गलत अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण के पति व पिता रामजीलाल के पिता का नाम कस्तूरया न होकर खूख्या है। प्रार्थीगण के पति व पिता का देहान्त हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड मे नाम, नामान्तकरण खुलवाने बाबत प्रार्थीगण को नाम शुद्धि की आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 360 ख0न0 1725 रकबा 11.190 है0 ग्राम खूटला सलौना मे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम रामजीलाल पुत्र कस्तूरया के स्थान पर रामजीलाल पुत्र खूख्या शुद्ध दर्ज करने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2070—73 खाता संख्या 310, 226 ग्राम खूटला सलौना, फोटोकोपी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/2127 दिनांक 29.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का खूटला सलौना की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पति व पिता के नाम में वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान खूटला सलौना की वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 की खाता संख्या 310 मे दर्ज खसरा नम्बर 1725 रकबा 11.19 है0 मे सहखातेदार का नाम रामजीलाल पुत्र कस्तूरया जाति चमार दर्ज है। जमाबंदी संवत 2045–48 सहखातेदार मे सूख्या पिता सूस्या जाति चमार की मृत्यु पश्चात विरासत नामान्तकरण से उक्त भूमि मे राजीलाल पिता खूख्या जाति चमार सा0 देह खातेदार का नाम सहखातदेार के रूप दर्ज हुआ है। जमाबंदी संवत 2049–52, संवत 2053–56 मे सहवन से रामजीलाल पिता सूस्या दर्ज हो गया है एवं इसके पश्चात जमाबंदी जमाबंदी रोटेशन संवत 2057–60 मे राजमीलाल पुत्र कस्तूरया दर्ज हो गया तथा वर्तमान जमाबंदी मे भी रामजीलाल पुत्र कस्तूरया नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि सही नाम रामजीलाल पुत्र खूख्या जाति चमार दर्ज किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 310 खसरा नम्बर 1725 रकबा 11.19 है0 ग्राम खूटला सलौना में दर्ज नाम रामजीलाल पुत्र कस्तूरया के स्थान पर रामजीलाल पुत्र खूख्या दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:47 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)